न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/42
दायरा तिथि : 04.02.2022
आदेश तिथि : 22-6-2022

प्रार्थी :–
भूरसिंह पुत्र केसरसिंहजी जाति राजपुत
निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब नाम

अप्रार्थीगण :–
1. चुन्नीबाई पुत्री कूपाराम जाति कुम्हार
2. धर्मीबाई पुत्री कूपाराम जाति कुम्हार
3. सुखीबाई पुत्री कूपाराम जाति कुम्हार
   निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 22-6-2022

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम बेडा पटवार हल्का, बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1713 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण चुन्नीबाई पुत्री कूपाराम जाति कुम्हार निवासी बेडा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा पटवार हल्का, बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1712 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/976 दिनांक 06.04.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 1713 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि प्रार्थी श्री भूरसिंह पुत्र केसरसिंहजी जाति राजपुत निवासी बेडा तहसील बाली के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1712	0.24 हैक्टर	बारानी अव्वल	9X 9= 81 वर्गमीटर	चुन्नीबाई पुत्री कुपाराम कुम्हार हि. 1/3 धर्मीबाई पुत्री कुपाराम कुम्हार हि. 1/3 सुखीबाई पुत्री कुपाराम कुम्हार हि. 1/3

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा की डी.एल.सी. दर 238950/–रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से वकील श्री हेमन्त बोहरा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं अप्रार्थी संख्या–02 धरमीबाई को रजिस्टर्ड डाक से जारी नोटिस तामील के बावजुद वकालतन/असालतन अनुपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् वकील अप्रार्थी श्री हेमन्त बोहरा को जवाब/आपत्ति प्रस्तुती के लिये कई मर्तबा समय/अवसर दिये जाने के बावजुद एतराज/आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण में उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 1713 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदित एवं प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, परंतु रिपोर्ट में 9x9 वर्गमीटर अर्थात 9मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित

पेज लगातार........02

Scanned with CamScanner

किया है, जो नियमों के प्रतिकूल है। विधिक प्रावधानों के तहत अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता ही उपलब्ध कराया जा सकता है। जिससे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट में वर्णित ट्रेक से 8 मीटर चौडा रास्ता ही उपलब्ध करवाया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम बेडा पटवार हल्का, बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1713 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी चुन्नीबाई पुत्री कूपाराम जाति कुम्हार निवासी बेडा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा पटवार हल्का, बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1712 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म **बारानी अव्वल मेंसे 8X9=72 वर्गमीटर** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 238950/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1712	0.24 हैक्टर	8X9=72 वर्गमीटर	23.90	1721X2=3442	चुन्नीबाई पुत्री कुपाराम कुम्हार हि. 1/3 धर्मीबाई पुत्री कुपाराम कुम्हार हि. 1/3 सुखीबाई पुत्री कुपाराम कुम्हार हि. 1/3

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **3442/- (अक्षरे तीन हजार चार सौ बयालीस रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 23-6-22

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/2153-57
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक भूरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपुत निवासी बेडा तहसील बाली को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner